2024/460 (24/187)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीनी के पक्ष में प्रतीत होते है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए अस्थाई व्यादेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः जरिये अस्थाई अंतरिम व्यादेश अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 94/2024 बअनवान समीना खातुन बनाम उमरदीन इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2024 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.11.2024 तक स्थगित किया जाकर उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 159 रकबा 40.6466 हैक्टेयर ग्राम गाड़ना के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखे । तहरीर दस्ती जारी हो। आदेश 39 सीपीसी की पालना में रेस्पोडेंट्स के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजने हेतु अपीलांट्स के अधिवक्ता को दस्ती जारी हो। वकील अपीलांट्स आगामी तीन कार्यदिवस में पोस्टल रसीदे पेश करे तथा आगामी पेशी पर ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	स्था. 2401-02 28/10/24
19/11/24	पत्रावली वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलब कर अपील जरिये विड्रॉल खारिज करने पर आज पेश हुई। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि इस मामले में पक्षकारान में आपसी सहमति एवं राजीनामा हो चुका है। अपीलार्थी इस मामले को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः अपील जरिये विड्रॉल खारिज फरमायी जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मामले में लोक अदालत की मार्फत राजीनामा हो चुका है। लिहाजा अपीलार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी जरिये विड्रॉल खारिज की जाती है। पत्रावली बोसल शुमार होकर दफ्तर से कर की जाकर अपील दफ्तर हो।	19/11/24